भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 161
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2022

एम.डी.एम.एस. कामगारों को मानदेय

†161. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में मध्याह्न भोजन पकाने वाले कामगारों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है**;**
(ख) यदि हां**,** तो इसके कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और
(ग) यदि नहीं**,** तो इसका क्या कारण है**?**

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): पीएम पोषण योजना (जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था) के तहत, रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने और परोसने के लिए रखे गए हैं। वे मानद कार्यकर्ता हैं जो समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। उनकी सेवाओं के सम्मान में, सीसीएच को एक वर्ष में 10 महीने के लिए मानदेय के रूप में प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाता है और इसे जारी रखा जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने और उसे परोसने के लिए सीसीएच को मानदेय भी प्रदान किया जाता है। अनुमोदित शेयरिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मानदेय व्यय को साझा किया जाता है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भी अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाकर मानदेय को पूरा करते हैं।

****